न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 80/12 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2012/00022

उनवान

1. श्रीमती गोमती वेवा शंकरलाल
2. विष्णु } पिस0 स्व0 शंकरलाल
3. गोरधन (मृतक) }
4. अनीता पुत्र शंकरलाल (मृतक)
   4/1. सुरेशचन्द पति अनीता देवी
   4/2. निखिल कुमार } पिस0 अनीता देवी
   4/3. प्रमोद कुमार }
5. गुड्डी }
6. रेणु } पुत्री स्व0 शंकरलाल
7. पिंकी }

} जाति ब्राहम्ण नि0 कनावर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती भग्गो वेवा हीरालाल (मृतक)
2. शिवदत्त (मृतक)
3. जयप्रकाश }
4. अमरपाल } पुत्र स्व0 हीरालाल
5. भागमल (फौत) }

} जाति ब्राहम्ण नि0 कनावर तह0 बयाना जिला भरतपुर।

6. श्रीमती सुशीला पत्नी जवाहर निवासी नगला भॉडोर हाल भरतपुर।
7. श्रीमती सुनीता पत्नी रमेश निवासी कारवारी हाल भगवती कालोनी बयाना जिला भरतपुर।
8. शिवराम पुत्र मदन जाति ब्राहम्ण निवासी कनावर तहसील बयाना (मृतक)
   8/1. मुकेश पुत्र शिवराम जाति ब्राहम्ण निवासी कनावर तहसील बयाना।
   8/2. सुनीता पुत्री शिवचरन पत्नी उमेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बस स्टेण्ड के पास हिण्डौन जिला करौली।
9. बृजेन्द्र पुत्र कन्हैया सिंह जाति जाट निवासी नया गॉव नगला भगोरी तहसील बयाना जिला भरतपुर (मृतक)
   9/1. रूपेन्द्र पुत्र बृजेन्द्र जाति जाट निवासी नयागॉव नगला भगोरी, बयाना।
   9/2. रमेश पुत्र बृजेन्द्र (मृतक)
   9/2/1. ओमवती वेवा रमेश
   9/2/2. नीरज पुत्र रमेश } नाबालिग व विलायत माता ओमवती जाति जाट निवासी नया गॉव
   9/2/3. मोनू पुत्र रमेश } नगला भगोरी बयाना।
10. जगदीश पुत्र कलुआ जाति गूजर निवासी कनावर तहसील बयाना जिला भरतपुर।
11. राजस्थान सरकार तामील तहसीलदार साहब बयाना जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.10.2012 प्रकरण संख्या 28/09 उनवान शंकरलाल बनाम हीरालाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना।

अभिभाषकगण :—

1. श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री मोहन सिंह राणा अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :—25.03.2025

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम कनावर तहसील बयाना में स्थित है। वादी अपीलाण्ट के पिता/पति शंकरलाल व प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 व 05 के पिता/पति हीरालाल व प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 08 के पिता शिवराम आपस में खास भाई हैं, जो पहले शामिल शरीक में रहते थे। अब करीब 15 वर्ष से अलग—अलग रह रहे हैं। प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 05 के पूर्व पुरूष वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 08 के बडे भाई थे एवं कर्ता खानदान थे। कर्ता खान दान होने एवं बडे भाई होने के कारण विवादित आराजी को उनके पिता मदन की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी रैस्पो संख्या 01 लगायत 05 के पूर्व पुरूष ने अकेले अपने नाम दर्ज करा लिया, जो खिलाफ कानून है। जबकि विवादित आराजी मदन के तीनों वारिसो पर वहिस्सा बराबर प्रकान्त होनी चाहिये थी। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 05 के पूर्व पुरूष ने विवादित आराजी में से कुछ अंश का विक्रय भी अन्य रैस्पो0 को कर दिया है, जो वादी अपीलाण्ट के हिस्से तक अवैध व शून्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में स्वयं को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि शंकरलाल, हीरालाल व शिवराम खास सगे भाई थे। हीरालाल सबसे बडा होने के कारण कर्ताखानदान था। विवादित आराजी अपीलाण्ट के पिता मदन से हीरालाल पर आयी है। बडा भाई होने के कारण हीरालाल ने समस्त आराजी अपने नाम करा ली। हीरालाल ने विवादित आराजी में से जब कुछ अंश का विक्रय किया तो वादी अपीलाण्ट को उक्त तथ्य का ज्ञान हुआ। रैस्पो0 ने अपने जवाब दावा में भूमि को मदन से प्राप्त होना स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 14 नियम 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय ही पारित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात तो कायम की हैं। परन्तु अपीलाधीन आदेश तनकीवार पारित नहीं किया। अतः आदेश 20 नियम 05 की

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पालना नहीं हुयी। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारो के मध्य हुआ राजीनामा भी पेश हुआ था। परन्तु वह तस्दीक नहीं हुआ। रैस्पो0 राजीनामा को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताते हैं। परन्तु ना तो राजीनामा तस्दीक हुआ एवं ना ही निरस्त हुआ। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र अन्तिम बहस के समय सुने जाने के आदेश है। तनकी दावा एवं जवाब दावा के आधार पर बनती हैं ना कि दस्तावेजो के आधार पर। हीरालाल ने अपने जवाब दावाा में विवादित आराजी को पैतृक होना स्वीकार किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2011 पेज 413, 163, 210, 250, 2019 पेज 133 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत हुये हैं वह प्रदर्श ही नहीं हुये एवं जब प्रदर्श ही नहीं हुये, तो उन्हें कैसे पढा जा सकता है एवं जब पढा नहीं जा सकता तो अधीनस्थ न्यायालय किस प्रकार तनकीवार निर्णय पारित करता। कथित राजीनामा तस्दीक नहीं हुआ है। राजीनामा सही नहीं होने के आधार पर राजीनामा को निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। यदि भूमि मदन से आई है तो मदन से हीरालाल के नाम नामान्तकरण पेश करना चाहिये था, जो नहीं किया है। यदि कोई प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हुआ तो उसका उज्र अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में ही करना चाहिये था, जो नहीं किया है। अतः अब अपील में उक्त तथ्य को चुनौती नहीं दे सकते हैं। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2023(1) पेज 105, 2023(2) पेज 1351, आरआरटी 2022(2) पेज 815, आरबीजे 2022 पेज 465 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया। प्रकरण में इस तथ्य बाबत् कोई विवाद नहीं है कि मदन के तीन पुत्र क्रमशः शंकरलाल, हीरालाल व शिवराम हैं। प्रतिवादी रैस्पो0 ने अपने जवाब दावा में विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति होना एवं अपने पिता मदन से प्राप्त होना स्वीकार किया है। प्रकरण में राजीनामा भी प्रस्तुत हुआ है। परन्तु वह तस्दीक नहीं हुआ। तत्पश्चात् राजीनामा को निरस्त कराने हेतु दिनांक 23.03.2000 को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत हुआ है। परन्तु राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में निरस्त भी नहीं हुआ है एवं ना ही उक्त प्रार्थना पत्र कोई सुनवाई ही हुयी। इसके अलावा प्रकरण में आदेश 14 नियम 5 का प्रार्थना पत्र भी पैण्डिग था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की एवं ना ही उसे निस्तारित ही किया, जो प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन होना दर्शाता है। हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश तनकीवार पारित नहीं किया। जबकि प्रकरण में एक बार तनकी कायम होने पर निर्णय तनकीवार दिया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5

भू. प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सीपीसी की कोई पालना नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल दावा, जवाब दावा एवं उभयपक्षकारान की बहस को अंकित करते अत्यंत सूक्ष्म निर्णय पारित किया है। जिसे किसी भी प्रकार विधि अनुरूप नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ। न्याय होना ही पर्याप्त नहीं, अपितु होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार का निर्णय किसी भी प्रकार स्थिर रहने योग्य नहीं माना जा सकता। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.2012 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.04.2025 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी

(सुनील आर्य)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर